रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1999/आश्विन 8, 1921
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1999/ASVINA 8, 1921

LIBRARY

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1999

सं. प्रशुल्क/टीपीटी/1/98-टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार क्षति दावों में अतिरिक्त प्रभार को शामिल करने से संबंधित दरों के मान के संशोधन के बारे में तूतीकोरिन पत्तन न्यास के आवेदन पत्र पर निर्णय करता है ।

मामला सं0 प्रशुल्क/टीपीटी/1/98-टीएएमपी

दी तूतीकोरन पत्तन न्यास (टीपीटी) - - - आवेदक

आदेश

(सितम्बर,99 के 22 वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला क्षति दावों में अतिरिक्त प्रभार को शामिल करने से संबंधित टीपीटी के दरों के मान के संशोधन के बारे में तूतीकोरन पत्तन न्यास (टीपीटी) द्वारा किए गए एक आवेदन पत्र से संबंधित है ।

2. टीपीटी का यह प्रस्ताव है कि पत्तन की संपत्ति को क्षति होने के संबंध में क्षति को ठीक करने पर आने वाली वास्तविक लागत पर 23.75% की दर पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाए ।

3. यह प्रस्ताव पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ सामान्य विचार-विमर्श प्रक्रिया के शर्ताधीन था और टीपीटी में 18 जनवरी,99 को संयुक्त सुनवाई के दौरान भी इस पर चर्चा की गई थी । संयुक्त सुनवाई के दौरान टीपीटी द्वारा यह सहमति की गई थी कि वे पत्तन संपत्तियों का बीमा करवाने की संभावनाओं का पता लगाएंगे और पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके संशोधित प्रस्ताव भेजेंगे । तथापि, कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

4. टीपीटी की दरों के मान के सामान्य संशोधन के संबंध में संयुक्त सुनवाई के दौरान 9 अगस्त,99 को टीपीटी में टीपीटी के इस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई । पत्तन ने उल्लेख किया है कि प्रयोक्ताओं ने टीपीटी से पत्तन संपत्ति को होने वाली क्षति के लिए अलग-अलग पक्षों के विरूद्ध बिल भेजने की बजाए क्षति लागत को शामिल करने का अनुरोध किया है । इसे पत्तन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि क्षति लागत को शामिल किए जाने से पत्तन संपत्तियों को क्षति होने की घटनाएं बढ़ सकती है । प्रयोक्ताओं का यह विचार था कि पत्तन के क्षति लागत को शामिल करने पर सहमत न होने की स्थिति में क्षति प्रवृत्ति वाली संपत्तियों का बीमा कर दिया जाए और प्रीमियम की राशि कार्गो-स्वामियों तथा जलयानों से विशेष लेवी के रूप में वसूल की जाए । पत्तन न्यास इस पर भी सहमत नहीं था, क्योंकि ये क्षतियां विभिन्न पक्षों की लापरवाही के कारण होती है और सभी कार्गो-स्वामियों तथा जलयानों को ऐसी लापरवाही की क्षति वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता । इसलिए, पत्तन ने गहराई से अनुभव किया है कि संपत्तियों के बीमा का प्रस्ताव कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है । प्रयोक्ताओं से बीमा प्रीमियम वसूल करने का मूल सुझाव भी व्यावहारिक नहीं पाया गया, क्योंकि पत्तन संपत्ति के प्रयोक्ताओं की विस्तृत सूची को वर्ष के आरंभ में अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता था ।

5. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए पत्तन ने अब निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :-

(I) पत्तन संपत्ति का बीमा करने संबंधी प्रश्न को आस्थगित रखा जाए । टीएएमपी इस मुद्दे पर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सम्मेलन में चर्चा कर सकता है और सभी प्रमुख पत्तनों के लिए साझा नीतिगत निर्णय ले सकता है ।

(II) 23.75% का अतिरिक्त प्रभार लगाने के पत्तन प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए । क्षति के विरूद्ध पत्तन संपत्तियों के बीमा के संबंध में सभी प्रमुख पत्तनों के लिए टीएएमपी द्वारा एक साझा निर्णय लिए जाने तक अतिरिक्त प्रभार को क्रियान्वित किया जाए ।

6. दिनांक 18 जनवरी,99 और 9 अगस्त,99 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में अतिरिक्त प्रभार लगाने के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका । इसलिए, प्राधिकरण यह अनुभव करता है कि इस चरण में अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन करना उपयुक्त नहीं है । तद्नुसार, प्राधिकरण सभी प्रमुख पत्तनों

के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों के साथ परामर्श से इस पूरे मुद्दे पर विचार किए जाने के पश्चात सभी प्रमुख पत्तनों के लिए साझा तौर पर अपनाए जाने के लिए नीति तैयार करने तक निर्णय को स्थगित रखने का फैसला करता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1999

F. No. Tariff/TPT/1/98-TAMP.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby decides the application of the Tuticorin Port Trust about amendment of Scale of Rates relating to inclusion of overhead charge in damage claims as in the Order appended hereto.

CASE NO.Tariff/TPT/1/98-TAMP

The Tuticorin Port Trust (TPT) - - - Applicant

O R D E R

(Passed on this 22 day of September 99)

This case relates to an application made by the Tuticorin Port Trust (TPT) for amendment of the TPT Scale of Rates about inclusion of overhead charge in damage claims.

2. The proposal of the TPT is that, in respect of damages caused to the Trust's property, a rate of 23.75% may be levied as Overhead Charge on actual cost involved in rectifying the damage.

3. The proposal was subjected to the usual consultation process with the Port users and was also taken up for a joint hearing at the TPT on 18 January 99. At the joint hearing, it was agreed by the TPT that they would explore the possibilities of insuring Port properties and send a revised proposal in consultation with port users. However, no revised proposal has been received.

4. The proposal of the TPT was also taken up for discussion at the TPT on 9 August 99 during the joint hearing regarding general revision of Scale of Rates of the TPT. The port has stated that users requested the TPT to absorb the damage cost instead of raising bills against individual parties causing damage to port property. The same was not accepted by the port as absorption of the damage cost might increase occurrence of damage to port properties. The user's view was that in case the port did not agree to absorb the damage cost, the properties prone to damage might be insured and the premium be recovered from the cargoes and the vessels as a special levy. The same was also not agreed to by the Port Trust, because damages are caused due to negligence of individual parties; and, all cargoes and vessels can not be asked

to bear the incident of such negligence. Therefore, the Port strongly felt that the proposal for insurance of properties was not feasible proposition. The original suggestion to recover insurance premium from users was also not found to be practicable because a comprehensive list of the users of port property could not be finalised in the beginning of the year itself.

5. In view of the above position, the Port has now come up with the following proposal:

(i). The question of insuring the Port property may be deferred. The TAMP may discuss the issue in the FA & CAO's Conference and take a policy decision commonly for all the Major Ports.

(ii). The Port proposal for levying an Overhead Charge of 23.75% may be approved. The Overhead Charge may be implemented till TAMP takes a common decision for all the Major Ports in respect of insurance of Port properties against damage.

6. There was no agreement regarding levy of Overhead Charge in the joint hearings held on 18 January 99 and 9 August 99. The Authority therefore feels that it is not appropriate to approve the overhead Charge at this stage. Accordingly, the Authority decides to defer the decision till a policy for common adoption for all the Major Ports is taken after the whole issue is considered in consultation with the FA & CAO's of all the Major Ports.

S. SATHYAM, Chairman
[Advt./III/IV/Exty/143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.